भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 867
07 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न
पी.एम.जी.के.ए.वाई.

867. श्री जी. सेल्वम:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमजीकेएवाई के कार्यान्वयन में सरकार के समक्ष क्या-क्या चुनौतियां हैं;

(ग) इसके आरंभ से लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है और वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है;

(घ) वर्ष 2022 से 2023 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत खाद्य राजसहायता पर वर्ष-वार कितना व्यय किया गया;

(ड.) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं कि पीएमजीकेएवाई के लाभ सभी पात्र परिवारों, विशेषकर दूरस्थ अथवा सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों तक पहुंचें;

(च) इस योजना के लिए मासिक खाद्यान्न का राज्य-वार आबंटन कितना है और शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या में लाभार्थियों का कुल प्रतिशत कितना है; और

(छ) भारत में भावी समाज कल्याण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए पीएमजीकेएवाई से क्या सबक सीखा गया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (छ): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) देश में कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण निर्धनों और जरूरतमंदों के समक्ष आई कठिनाइयों को दूर करने के विशिष्ट उद्देश्य से शुरू की गई थी। कोविड संकट को देखते हुए, पीएमजीकेएवाई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न का यह आवंटन लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए नियमित आवंटन के अतिरिक्त था। पीएमजीकेएवाई (चरण I-VII) के तहत 28 महीनों की अवधि के लिए लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये के कुल योजनाबद्ध वित्तीय परिव्यय के साथ लगभग 1118 लाख टन खाद्यान्नों की कुल मात्रा आवंटित की गई थी।

.......2/-

केंद्र सरकार ने निर्धन लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और गरीबों की सहायता के लिए कार्यक्रम की राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, पीएमजीकेएवाई के तहत 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया था।

गरीबों के लिए खाद्यान्नों की पहुँच, वहनीयता और उपलब्धता के संदर्भ में पीएमजीकेएवाई के लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए एवं सभी राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वहन किए जाने वाले 11.80 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित वित्तीय परिव्यय के साथ 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्षों की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों (अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों) को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करना जारी रखने का निर्णय लिया है।

पीएमजीकेएवाई केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित की जाती है। संघ और राज्यों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत, लाभार्थियों की पहचान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। इस अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों के अंतर्गत की जाती है- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत कवर किए गए परिवार, जो केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक निर्धनतम हैं और शेष परिवारों की पहचान प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के रूप में, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनके द्वारा तैयार किए गए मानदंडों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर की जानी है। केन्द्र सरकार ने पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और निर्धन व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर परामर्शिका (एडवाइजरी) जारी की है।

यह योजना पूरे देश में एक समान मूल्य और मात्रा के साथ एक एकीकृत संस्थागत तंत्र प्रदान करती है और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों, की कठिनाइयों को दूर करती है। एकीकृत पहल के कार्यान्वयन में लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों और संबंधित सब्सिडी बोझ के साथ-साथ पीएमजीकेएवाई के तहत उनकी हकदारियों के बारे में जागरूक करने की परिकल्पना की गई है।

दिनांक 1 जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न का विस्तार, राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा के समाधान के लिए सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता एवं दृष्टिकोण को दर्शाता है। नि:शुल्क खाद्यान्नों का प्रावधान समाज के प्रभावित तबके की किसी भी वित्तीय कठिनाई को संधारणीय तरीके से कम करेगा और लाभार्थियों के लिए शून्य लागत के साथ दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण रणनीति सुनिश्चित करेगा, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावी पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है।

पीएमजीकेएवाई सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने पीएमजीकेएवाई के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की कठिनाई या चुनौती दर्ज नहीं कराई है।

वर्ष 2020 से पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कवरेज प्रतिशतता और संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

........3/-

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडीप्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी जारी की जाती है। विकेन्द्रीकृत खरीद में भाग लेने वाले राज्यों के मामले में, राज्य सरकारें खाद्यान्नों की खरीद और पात्र परिवारों को इसके वितरण की जिम्मेदारी लेती हैं। ऐसे राज्यों में खाद्य सब्सिडी सीधे तौर पर राज्य सरकारों को जारी की जाती है। केन्द्र सरकार अनुमोदित लागत मानकों के अनुसार खरीद प्रचालन पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने का वचन देती है।

वर्ष 2020-21 से एफसीआई और डीसीपी राज्यों को एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्नों के वितरण हेतु खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-II क** में दिया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी खाद्य सब्सिडी का ब्यौरा **अनुबंध-II ख** में दिया गया है।

वर्ष 2020 से पीएमजीकेएवाई के तहत आवंटित खाद्यान्नों का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

******

अनुबंध-I

"पीएमजीकेएवाई" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 07.02.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020 से पीएमजीकेएवाई के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवरेज प्रतिशत		कवर किए गए लाभार्थियों की वास्तविक संख्या (लाख में)				
		ग्रामीण	शहरी	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.01.2024 की स्थिति के अनुसार
1	आंध्र प्रदेश	60.96	41.14	268.22	268.22	268.22	268.22	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	66.31	51.55	8.21	8.40	8.40	8.40	8.40
3	असम	84.17	60.35	251.53	250.30	251.17	251.17	251.17
4	बिहार	85.12	74.53	857.12	871.16	871.16	871.16	871.16
5	छत्तीसगढ	84.25	59.98	200.77	200.77	200.77	200.77	200.77
6	दिल्ली	37.69	43.59	72.73	72.78	72.78	72.78	72.78
7	गोवा	42.24	33.02	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
8	गुजरात	74.64	48.25	382.54	341.71	345.15	344.15	351.60
9	हरियाणा	54.61	41.05	126.49	126.49	126.49	126.49	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	56.23	30.99	28.64	28.64	28.64	28.64	28.64
11	झारखंड	86.48	60.20	263.70	263.70	264.26	264.19	264.19
12	कर्नाटक	76.04	49.36	401.93	401.93	401.93	401.93	401.93
13	केरल	52.63	39.50	154.80	154.80	154.80	154.80	154.80
14	मध्य प्रदेश	80.10	62.61	546.42	470.47	482.59	511.32	534.79
15	महाराष्ट्र	76.32	45.34	700.17	700.17	700.17	700.17	700.17
16	मणिपुर	88.56	85.75	24.57	18.60	19.97	20.08	20.08
17	मेघालय	77.79	50.87	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46
18	मिजोरम	81.88	48.60	6.68	6.68	6.68	6.81	6.83
19	नगालैंड	79.83	61.98	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05
20	ओडिशा	82.17	55.77	323.60	324.33	324.15	325.03	325.98
21	पंजाब	54.79	44.83	141.51	141.51	141.51	141.51	141.45
22	राजस्थान	69.09	53.00	446.63	440.01	440.01	440.01	440.01
23	सिक्किम	75.74	40.36	3.79	3.79	3.79	3.81	3.81
24	तमिलनाडु	62.55	37.79	357.34	364.69	364.69	364.12	364.12
25	तेलंगाना	60.96	41.14	191.62	191.62	191.62	191.62	191.62
26	त्रिपुरा	74.75	49.54	24.83	24.83	24.83	24.43	24.43
27	उत्तर प्रदेश	79.56	64.43	1520.59	1465.94	1487.44	1497.77	1505.19
28	उत्तराखंड	65.26	52.05	61.94	61.94	61.94	61.94	61.94
29	पश्चिम बंगाल	74.47	47.55	601.84	601.84	601.84	601.84	601.84
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	24.94	1.70	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
31	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	69.93	54.17	2.91	2.86	3.02	2.69	2.69
32	लक्षद्वीप	35.30	33.56	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	38.54	47.26	2.80	2.80	2.76	2.99	2.99
34	पुदुच्चेरी (डीबीटी)	59.68	46.94	6.15	6.30	6.23	6.34	6.34
35	जम्मू एवं कश्मीर	63.93	46.93	72.05	72.41	72.41	72.41	72.41
36	लद्दाख	55.65	41.62	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
कुल		**75.00**	**50.00**	**8095.22**	**7932.80**	**7972.53**	**8010.70**	**8049.94**

******

अनुबंध-II क

"पीएमजीकेएवाई" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 07.02.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 से एफसीआई और डीसीपी राज्यों को एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की गई धनराशि का विवरण

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	एफसीआई	डीसीपी राज्य	कुल
2020-21	*4,62,789.00	78,337.77	5,41,126.77
2021-22	2,08,929.00	79,789.54	2,88,718.54
2022-23	2,00,219.20	72,282.50	2,72,501.70
2023-24 (दिनांक 05.02.2024 की स्थिति के अनुसार)	1,01,600.00	50,637.18	1,52,237.18

**इसमें 3,39,236 करोड़ रुपये के एनएसएसएफ ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है।

—

अनुबंध-II ख

"पीएमजीकेएवाई" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 07.02.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क. चरण-1 से चरण-VII तक पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा डीसीपी राज्यों को जारी की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	पीएमजीकेएवाई 2020-21	पीएमजीकेएवाई 2021-22	पीएमजीकेएवाई 2022-23	चरण-1 से VII के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत जारी कुल निधि
1	आंध्र प्रदेश	2764.05	3248.92	1027.02	7039.99
2	बिहार	737.37	2773.64	5443.15	8954.16
3	छत्तीसगढ	2367.03	2438.53	2923.43	7728.99
4	गुजरात	-	7.13	22.34	29.47
5	मध्य प्रदेश	3202.55	5084.52	5181.35	13468.42
6	महाराष्ट्र	981.60	870.45	1298.51	3150.56
7	ओडिशा	2964.20	2670.98	2422.25	8057.43
8	पंजाब	63.06	-	-	63.06
9	तेलंगाना	2357.64	1296.51	2551.87	6206.02
10	उत्तराखंड	492.97	301.29	434.92	1229.18
11	तमिलनाडु	-	-	**139.07**	**139.07**
12	पश्चिम बंगाल	-	-	**1695.28**	**1695.28**
	कुल	**15930.47**	**18691.97**	**23139.19**	**57761.63**

...2/-

ख. खाद्यान्नों की खरीद के लिए एफसीआई द्वारा राज्यों को जारी धनराशि का विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	**क्षेत्र का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	झारखंड	686.18	1058.06	1252.23
2	ओडिशा	5281.84	4551.87	4243.93
3	असम	206.5	269.63	1177.62
4	हरियाणा	34129.47	38446.39	24411.41
5	हिमाचल प्रदेश	6.2	27.1	6.12
6	जम्मू एवं कश्मीर	0.02	49.04	0.61
7	पंजाब	73335.31	89469.81	78226.7
8	राजस्थान	4572.19	4855.69	21.67
9	उत्तर प्रदेश	21471.43	26012.01	17007.31
10	उत्तराखंड	1030.53	623.41	635.41
11	आंध्र प्रदेश	6870.88	2548.32	3005.16
12	तेलंगाना	15522.12	16713.7	12521.64
13	मध्य प्रदेश	13811.98	14857.34	17977.27
14	छत्तीसगढ	8779.95	10713.63	13174.35
	सकल योग	**185704.6**	**210196.01**	**173661.43**

*****

अनुबंध-III

"पीएमजीकेएवाई" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 07.02.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020 से पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	1072.920	1475.218	1206.995
2	अरुणाचल प्रदेश	32.845	46.219	37.815
3	असम	1006.117	1380.988	1130.251
4	बिहार	3474.654	4791.399	3920.235
5	छत्तीसगढ	803.080	1104.235	903.465
6	दिल्ली	290.933	400.290	327.510
7	गोवा	21.280	29.270	23.948
8	गुजरात	1530.143	1884.348	1551.681
9	हरियाणा	505.960	695.695	569.205
10	हिमाचल प्रदेश	114.578	157.545	128.901
11	झारखंड	1054.801	1451.459	1188.611
12	कर्नाटक	1607.720	2210.615	1808.685
13	केरल	619.200	851.401	696.601
14	मध्य प्रदेश	2185.680	2654.248	2214.735
15	महाराष्ट्र	2800.680	3850.920	3150.751
16	मणिपुर	98.526	105.942	90.262
17	मेघालय	85.821	118.003	96.548
18	मिजोरम	26.729	36.752	30.070
19	नगालैंड	56.187	77.258	63.211
20	ओडिशा	1250.609	1783.081	1462.648
21	पंजाब	565.800	778.322	636.809
22	राजस्थान	1786.480	2420.068	1980.056
23	सिक्किम	15.152	20.833	17.045
24	तमिलनाडु	1429.348	2005.815	1641.121
25	तेलंगाना	766.480	1053.920	862.299
26	त्रिपुरा	99.788	136.745	110.705
27	उत्तराखंड	247.787	340.670	278.730
28	उत्तर प्रदेश	5802.846	8126.602	6704.914
29	पश्चिम बंगाल	2407.351	3310.107	2708.270
30	अंडमान निकोबार	2.434	3.347	2.739
31	चंडीगढ़	10.676	15.107	12.379
32	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	11.482	15.563	13.293
33	जम्मू और कश्मीर	289.462	398.259	325.848
34	लद्दाख	5.756	7.914	6.475
35	लक्षद्वीप	0.880	1.201	0.981
36	पुदुच्चेरी	25.315	34.396	28.219
	कुल	**32105.501**	**43773.756**	**35932.010**

*****